# फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय ... (illegible)

या

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|
| 31/1/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील अभियोजन अरुण पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(8) CrPC अग्रिमार्थ पेश हुआ। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(8) CrPC का निस्तारण प्रार्थना 173(8) विपक्षी पु.नं. अन्य को नोटिस जारी कर एक माह में किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(8) CrPC विचारणीय प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधकर्ता की अन्वेषित शामिलात के प्रयोग का कोई SCOPE प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(8) CrPC स्वीकारणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली की नकल लेने का होकर पालन करावें। |

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम